भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 95AB 969566

विकास एजुकेशनल सोसाइटी

ग्राम- बिशनली पो०- दुजाना

जिला- गौतमबुद्धनगर

स्मृतिपत्र

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ

26-8-13

34 10

क्रमांक

स्टाम्प का मूल्य अंकों में ... (शब्दों में)

खरीदार का नाम विकास एजूकेशनल सोसायटी

पता गौतमबुद्धनगर

स्टाम्प का प्रकार एवं मूल्य

स्टाम्प बेचने का प्रयोजन

स्टाम्प विक्रेता का नाम राजकुमार

लाईसेंस संख्या / वर्ष MT-60/95-96

विक्रय स्थल का नाम कचहरी कम्पाउन्ड ...

विक्रय का दिनांक 16/9/13

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 95AB 969565

संस्था का नाम विकास एजुकेशनल सोसाइटी

ग्राम बिशनली पो० दुजाना

जिला गौतमबुद्ध नगर पत्रावली सं. एम 57661

नियमावली

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ

26-8-13

क्रमांक 35 - 34

स्टाम्प का मूल्य अंकों में (शब्दों में)

खरीदार का नाम विकास एजूकेशनल सोसायटी

पता गौतमबुद्धनगर

खपत्र का प्रकार एवं मूल्य

स्टाम्प बेचने का प्रयोजन

स्टाम्प विक्रेता का नाम राजकुमार

लाईसेंस संख्या MT 60/95-96

विक्रय स्थल का नाम तहसील कार्यालय

विक्रय का दिनांक 16/9/13

स्मृति–पत्र

1	संस्था का नाम	:	विकास एजुकेशनल सोसायटी
2.	संस्था का पूरा पता	:	ग्राम–बिशनूली, पो0–दुजाना, जनपद– गौतम बुद्ध नगर
3	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश।
4.	संस्था के उददेश्य	:	सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 धारा के अनुसार निम्नवत है।

उद्देश्य :–

1 समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।

2 असहाय बच्चों के शैक्षिणिक भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।

3 नर्सरी कक्षा से उच्चतम शिक्षा तक की शिक्षा के लियें स्कूल एवं कालेज खोलना व छात्रो की हर प्रकार से सहायता करना।

4 बौद्धिक विकास के लियें पुस्तकालय, वाचनालय एवं मनोरंजन केन्द्र की स्थापना करना।

5 कुष्ठ तथा अपाहिज, विकलांग एंवं संक्रामक रोगो से ग्रस्त निराश्रित निःसहाय लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था करना।

6 निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय स्थल, नारी सुलभ उद्योगों का प्रशिक्षण एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

7 जाति धर्म, और भाषा के आधार उत्पन्न हुए द्वेष वैमनस्य की भावना को दूर करना राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।

8 प्रमोदय, सर्वोदय एवं धार्मिक, गणित व अन्य शिक्षण सम्बन्धी पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन करना एवं विचार करना।

9 देश एवं प्रदेश की सम उददेश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करके उद्देश्यों की पूर्ति करना।

10 देश की बढ़ती हुई भिक्षावृति को रोकना और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने हेतु युवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्शित करना।

सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

Kusum

Pawan Kumar

Kumar

Krishan

26-8-13

11 कम्पयूटर एजुकेशन से सम्बन्धित बेसिक शिक्षा आई0 टी0 प्रोग्राम से लेकर उच्चतम शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानो की स्थापना एवं संचालन करना तथा छात्रो की हर सम्भव सहायता करना।

12 परिवार नियोजन, एड्स, योग, नशा मुक्ति आदि के स्वास्थ शिविर लगाना, अस्पताल खोलना तथा स्वास्थ सम्बन्धी सभी कार्य करना।

13 जल एवं पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध मे जागरूकता पैदा करना प्रचार करना, रिसर्च करना तथा सुधार सम्बन्धी सभी कार्य करना।

14 गरीब व बेरोजगारी उन्मूलन के लिये हर सम्भव कार्य करना।

15. निर्धन एवं अनाथ बालक/बालिकाओं तथा बेसहारा महिलाओं के लिये सिलाई कढाई, बुंनाई एवं कम्प्यूटर सैन्टर, ब्यूटी सैन्टर जैसे सुलभ केन्द्रो की स्थापना कर उनके संचालन में सहयोग देना।

सत्यमेव जयते

हस्ताक्षरः–

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ

Kusum

Satyabhir Singh

Pawan kumar

Kumar

Krishan

26-8-13

विकास एजुकेशनल सोसायटी
ग्राम–बिशनूली, पो0–दुजाना, जनपद–गौतम बुद्ध नगर
प्रबंधकारणी समिति

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यो के नाम,पिता/पति का नाम पूरे पते पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमो के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क0 सं0	नाम	पिता/ पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री अतर सिंह	श्री हरकेश	ग्राम–बिशनूली, पो0–दुजाना, जनपद–गौतम बुद्ध नगर	अध्यक्ष	समाज सेवा
2	श्री सतवीर सिंह	श्री जगमल सिंह	ग्राम–बिशनूली, पो0–दुजाना, जनपद–गौतम बुद्ध नगर	उपाध्यक्ष	व्यापार
3	श्री पवन कुमार	श्री अतर सिंह	वी0–21, गली नं0–5–6, अरविन्द नगर, दिल्ली।	सचिव	अध्यापक
4	श्रीमती कुसुम	श्री दिनेश	ग्राम–बिशनूली, पो0–दुजाना, जनपद–गौतम बुद्ध नगर	उपसचिव	अध्यापक
5	श्री दिनेश कुमार	श्री अतर सिंह	ग्राम–बिशनूली, पो0–दुजाना, जनपद–गौतम बुद्ध नगर	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6	श्री शिव कुमार भाटी	श्री रघुवीर सिंह	ग्राम–बिशनूली, पो0–दुजाना, जनपद–गौतम बुद्ध नगर	सदस्य	छात्र
7	श्री कृष्ण	श्री ओम प्रकाश	ग्राम–बिशनूली, पो0–दुजाना, जनपद–गौतम बुद्ध नगर	सदस्य	व्यापार

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा सलंग्न नियमावली के अनुसार सोसायटी रजि0 एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है ।

दिनॉक : 30/1/13

हस्ताक्षर

Kusum
Satyaveer
Pawan Kumar
Kumar
Krishan

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक/अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ
26-8-13

नियमावली

1	संस्था का नाम	:	विकास एजुकेशनल सोसायटी
2.	संस्था का पूरा पता	:	ग्राम–बिशनूली, पो0–दुजाना, जनपद– गौतम बुद्ध नगर
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश।
4.	संस्था का वित्तीय वर्ष	:	संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।
5.	संस्था के उददेश्य	:	संस्था के स्मृति–पत्र मे अंकितानुसार ही होंगे।

क– सदस्यता:– जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पुर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख– सदस्यों के वर्ग:–

अ– आजीवन सदस्य :– जो सज्जन क्रमांक 5 क के अनुसार योग्यता रखते हुए संस्था को एक मुश्त 5100 /– रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ब– सामान्य सदस्य :–जो सज्जन क्रमांक 5 क के अनुसार योग्यता रखते हुये संस्था को एक मुश्त 151/– रू नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा

6–. सदस्यता की समाप्तिः–

1– सदस्य की मृत्यु होने पर ।
2– सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर ।
3– संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर ।
4– सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर ।
5– संस्था के विरूद्ध कायों में संलिप्त पाये जाने पर ।
6– संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुस्थित रहने पर ।

7– संस्था के अंग :– क– साधारण सभा
ख– प्रबन्धकारिणी समिति।

8– साधारण सभा:–

क–गठन :– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह ही साधारण सभा कहलायेगी ।

Kusum
Satyaban Singh
Pawan kumar

5 Suman
Krishan

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक/अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ
26-1-13

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ
सत्यमेव जयते

ख–बैठकें:– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग–सूचना:– समान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी सूचना डाक या स्पेशल मैंसेजर द्वारा दी जायगी ।

घ–कोरम:– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थागित की गयी बैठक को पुनः बुलाने के लिए कोरम को पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ङ–विशेष वार्षिक अधिवेशन:– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
2– संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना।
3– संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।
4– संस्था की नीति निर्धारित करना।
5– संस्था के भष्ट सदस्यों को निकालना।

9– प्रबन्धकारिणी समिति :–

क–गठन:– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा। जो आवश्यकता पड़ने पर घट बढ़ सकेगी।

ख–बेठकें:– सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग–सूचना:– समान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।

घ–कोरम:– प्रबन्धकरिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक को पुनः बुलाने कोरम को पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ङ–रिक्त पद की पूर्ति :–

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी।

च–कार्यकाल :– प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

Kusum
Satyaharisingh
Pawan Kumar

Kumar
Krishan

सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन करना।
2– संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।
3– संस्था की वार्षिक रिपोर्ट,बजट आदि को तैयार कराना।
4– प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।

10– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष :–

1– संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना।
2– सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना।
3– समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
4–संस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित भी करना।
5– संस्था के द्वारा संचालित संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।
6–संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

कार्यालय निबन्धक समितियाँ सत्यमेव जयते मेरठ क्षेत्र, मेरठ

सचिव :–

1–संस्था के अन्तर्गत संचालित केन्द्रों एवं संस्थान आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
2–संस्था के सदस्य / कर्मचारी के त्याग–पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।
3– संस्था के हित में कार्य करना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपसचिव को निहित होंगे।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ
26-8-13

Kusum
Satgatmsingh
Pawan kumar
Kumar
Krishan

कोषाध्यक्ष :— 1—संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।
2—संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।
3—अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11— नियमों—विनियमों में संशोधन प्रकिया :—

संस्था के नियमों—विनियमों में संशोधन प्रकिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन हाने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/परिवर्तन मान्य होगा।

12— संस्था का कोष :—

संस्था का धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम के खाते में जमा किया जा सकेगा जो अध्यक्ष व सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला जायेगा एवं किन्ही दो के हस्ताक्षर से संचालित हो सकेगा।

13— आय व्यय लेखा परीक्षण :—

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0 ए0 द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14— कानूनी कार्यवाही :—

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेंगी ।

15— अभिलेख :— सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हों, रखे जायेंगे।

17— विघटन :— संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक— 30/1/13
सत्यप्रतिलिपि
हस्ताक्षर

Kusum
Satyehirsnp
Pawan kumar
Kumar
Krishan

सत्य प्रतिलिपि
26-8-13

फाईल सं0 57669-M

संस्था का नाम विकास एजुकेशनल सोसायटी, गौतमबुद्धनगर।

1. स्मृति पत्र

2. नियामवली

आज दिनाँक 25-2-2013 को सन् 1860 मे प्रमाणित है अन्तर्गत निबन्धित की गई ।

उप निबन्धक समितियाँ

उ0 प्र0 मेरठ